

सही पते पर तलवी जारी होकर  
पत्रावली दिनांक 25/11/8 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी

कैली

कमील वादी अपस्थित। कमील वादी के  
शार्थना पत्र आदेश 5 निपत्र 15 CPC  
के शार्थना पत्र पर वदस सुनी गई।  
वदस पर मनन किया गया। कमील वादी का  
अपने शार्थना पत्र एवं दौराने वदस अधिकृत  
है कि तामील जो रेखा पुत्री रामधन ने सत्री  
प्रतिवादीगन की मदद प्राप्त की है। जो व्यस्क  
है और उसी धर से निवास करती है। किन्तु  
कमील वादी ने जो तामील रेखा द्वारा प्रतिवादीगन  
। लगापट 3 व 5 लगापट 7 की प्राप्त की गई है।  
उस सम्बन्ध में कमील वादी द्वारा किसी प्रकार  
का निवास प्रमाण पत्र एवं वालिक होने का  
भी कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मात्र  
मौखिक रूप से वदस के बलवा गया है। मात्र  
मौखिक रूप से किसी की पक्षका को  
एक ही परिवार में समुक्त रूप से निवास करना  
हम नहीं समझते। इस प्रकार वादी अपने  
शार्थना पत्र को खातिर करने में नाकाम  
रहे हैं। वादी का शार्थना पत्र 05 R 15 CPC  
का खातिर किया जा रहा है। कमील वादी को  
हिदापत दी जाती है कि प्रतिवादी सेवका  
। लगापट 3 व 5 लगापट 7 का पुनः तलवाना  
रजिस्टर्ड एडि. पेश करे। वरहे तलवी  
प्रतिवादी दिनांक 26/11/8 को पेश हो

कैली

उपखण्ड अधिकारी

कैली

कैली  
5813-1  
6/10/17